

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-53/2017 के अन्तर्गत जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर की गलजवाड़ी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.767 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-0.158 है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	0.767 है0 (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-0.158 है0)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.158 है0 आरक्षित वन रिखोली कक्ष सं0-8
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातियार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित कार्य के संरक्षण / स्थल पर वृक्ष वाधित / प्रभावित होना निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना/कार्य हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या की आवश्यकता न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र 26 पर चस्पा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित / चयनित स्थल दो वन प्रभागों (मसूरी वन प्रभाग एवं देहरादून वन प्रभाग) के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। प्रस्तावित परियोजना का आशिक भाग मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आरक्षित वन रिखोली कक्ष सं0 8 एवं ग्राम रिखोली की निज नाप भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधिति की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-18 पर तत्संबन्धी प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	—-नहीं—-
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-30 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-10 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- नहीं-
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राविधान नहीं किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि का प्राक्कलन देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव पर चस्पा है किया जाना है।

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु वांछित 0.767 है० वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि का प्राक्कलन देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव पर यथास्थान चर्चा किया जाना है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	उक्तानुसार।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रस्तावित कार्यस्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रमाणित कर चर्चा किया जाना है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, गपए गपपद्धत 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों/ फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09-05-2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक प्रपत्र 4 पर चर्चा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित स्थल का दिनांक 15-03-2020 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088.00 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.00 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 118 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 266.7834 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 192.9928 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 421.578 है० / 658.5392 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 317.630 / 531.38 है० में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 30-04-2020।

स्थान:- मसूरी,

नाम:- (कहकशां नसीम)
प्रमुख वन अधिकारी
सरकारी मुहर
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी